न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 –70/2025

अनवान : –

1. बृखादेवी. पत्नी. शंकरलाल जाति नाई निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थीया

बनाम

1. हेतराम
2. कृष्णलाल
3. कालूराम
4. मोहनलाल
5. रामनारायण
6. शंकरलाल

पि0 मंशाराम जाति नाई निवासीयांन मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

7. उपपंजीयक महोदय, तलवाड़ाझील ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :–**श्री रामस्वरूप भादू प्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 26/11/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण सं० 1 ता 6 व स्व० विद्यादेवी पत्नी मंशाराम के नाम संयुक्त खाता में आराजी दर्ज कागजात जमाबन्दी है जिसमें अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 का 1/14 हिस्सा प्रत्येक व स्व० विद्या देवी के नाम 4/7 हिस्सा अंकित है । फोटो प्रति जमाबन्दी चक 3 बी. आर. एन खाता सं0 24/30 पटवार हल्का मिर्जावाली मैर संलग्न प्रार्थना पत्र है, जिसे प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावे। स्व० विद्यादेवी ने अपनीं स्वयं अर्जित आराजी जरिये बैयनामा रामचन्द बहक विद्यादेवी दिनांक 8.1.90 चक 3 बी. आर. एन मे से जरिये दान–पत्र दिनांक 5.5.22 को चक 3 बी. आर. एन. खाता सं0 24/30 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में 0.304 है० कमाण्ड आराजी मुझ प्रार्थीया को दान पत्र निष्पादित करवाकर वरवक्त दान–पत्र कब्जा सौंप दिया जो आज भी मुझं प्रार्थीया के कब्जा काश्त में है । बैयनामा व दान–पत्र की फोटो प्रति पेश है। असल वरवक्त शहादत वास्ते अवलोकन पेश कर दी जावेगी मुझ प्रार्थीया को दान–पत्र द्वारा दी गई आराजी का रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन नही हुआ है जिस कारण प्रार्थीया दानपत्र में अंकित चक 3 बी. आर. एन खाता सं0 24/30 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में 0.304 है० आराजी का घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारीणी व दावेदार है। बाद घोषणा आराजी में से अच्छी मे से अच्छी व मन्दी मे से मन्दी श्आराजी प्रार्थीया 0.304 है० आराजी का खाता विभाजन करवाने की अधिकारीणी है । अप्रार्थीगण ने आज से चार रोज पहले

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

मुझ प्रार्थीयां को ग्राम मिर्जावाली मैर में ऐलानिया धमकी दी कि हम उपर वर्णित श्आराजी बिना खाता विभाजन करवाये समस्त आराजी को अन्य व्यक्ति को बैयनामा करवा देगें व मुझ प्रार्थीया को मेरी आराजी से बेदखल कर देगें । अप्रार्थीगण इस उदेश्य में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थीया को अपरिमेय क्षति होगी व मुकदमें बाजी बढेगी तथा प्रार्थीया अपने विधिक अधिकारों से महरूम हो जायेगी । सुविधा का सन्तुलन, अपरिमेय क्षति व प्रथम दृष्टया मामला, तीनों बिन्दू मुझ प्रार्थीया के पक्ष में है, ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है। लिहाजा प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत – धारा 212 आर०टी०ए० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया खिलाफ अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6, इस आशय की जारी की जावे कि चक नं0 3 बीआरएन के खाता सं0 24/30 में अंकित कुल 4.048 है० कमांड मय गै०मु० आराजी में से अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय व अन्य किसी तरीके से अन्तरित करने से व प्रार्थीया के कब्जा काश्त की 0.304 है० आराजी में उपयोग, उपभोग व कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी से ताफैसला दावा समनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तलबी की रजिस्टर्ड डाक रसीदे मय ट्रेकिग पेश की, 1 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अप्रार्थीगण स0 1 ता 7असालतन/वकालतन न्यायालय हाजिर नही आने के कारण आदेशिका दिनांक 22.08.2025 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी संयुक्त खातेदारी की है, उक्त खातेदारी के खाता विभाजन हेतु अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है जिसमें साक्ष्य सबूतो एंव गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जाना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है।

प्रथम दृष्टया मामला:– प्रकरण में विवादित आराजी संयुक्त खाता की भूमि है उक्त भूमि में विद्या देवी पत्नी मंशाराम 2.313 है0 की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। उक्त 2.313 है0 भूमि में से 8 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 08.01.1990 से विद्या देवी की खरीदशुद्धा भूमि है। विद्या देवी ने जरिये दानपात्र दिनांक 05.05.2022 उक्त भूमि में से 0.304 है0 भूमि का दानपात्र प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित करवाया है। प्रार्थीया का नाम वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नही है इस प्रकार प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित दानपात्र एक पंजीबद्ध दस्तावेज है। चूंकि अप्रार्थीगण भी विवादित आराजी में रिकोर्डेड खातेदार है। जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से यदि पाबंद किया जाता है तो

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

उनके अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पडने की पूरी पूरी संभावना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्ष के पक्ष में आंशिक साबित है।

सुविधा का संतुलनः— चूंकि प्रार्थीया ने उक्त विवादित भूमि से जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दान—पात्र अपने पक्ष में निष्पादित करवाया है अप्रार्थीगण भी विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है प्रार्थीया के हक हिस्सो व खाता विभाजन बिन्दु का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सबूतो एंव गुणावगुण के आधार पर तय होना है यदि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादीत दान—पत्र के अतिरिक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग उपभोग में असुविधा होगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी आंशिक अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

अपूर्णीय क्षतिः— चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित होने के कारण अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आरटीए आंशिक स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित दान—पात्र दिनांक 05.05.2022 में वर्णित आराजी 0.304 है भूमि की हद तक रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति ताफैसला बनाए रखे।

यह निर्णय आज दिनांक 26/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी